तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार वगैराह बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर व अन्य अपील संख्या 321/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.23	पत्रावली पेश हुई। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के संबंध में प्राथमिक एतराज पेश किया है। अतः अपील को गुणावगुण पर निरस्तारित किए जाने से पूर्व इस प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर द्वारा किए गए सीमाज्ञान (मौकापर्चा) दिनांक 30.10.2020 के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है, जो कि खसरा नंबर 679/0.19 है0 वाकै कस्बा भरतपुर चक नंबर 3 से संबंधित है। उक्त सीमाज्ञान से अपीलान्ट के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और न ही यह सीमाज्ञान अपीलान्ट के खसरा नंबर 677/0.13, 678/0.20, 678/3272/0.05 वाकै कस्बा भरतपुर के संबंध में किया गया है। उक्त सीमाज्ञान खसरा नंबर 679/0.19 के संबंध में किया गया है, जिसको रैस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2020 के द्वारा कय किया गया है। इस खसरा नंबर में न तो अपीलान्ट का कोई हित निहित है और न ही अपील पेश करने का अधिकार है। अतः इसी आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा मौका पर्चा दिनांक 30.10.2020 के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो कि भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार के कोई आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में न तो अपीलाधीन आदेश की त्रुटियों व कमियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किए जाने योग्य है। सीमाज्ञान के आदेश के संबंध में अदालत हाजा के समक्ष अपील नहीं हो सकती है और न ही सीमाज्ञान के आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अदालत हाजा को कोई अधिकार प्राप्त है। इसलिए क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण भी उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस आदेश के विरूद्ध यह अपील की गई है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के कौन से प्रावधान के तहत अदालत हाजा को उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है। रैस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए वयनामा दिनांक 17.08.2020 के संबंध में अदालत हाजा द्वारा न तो कोई फाइन्डिग दी जा सकती है और न ही शून्य घोषित किया जा सकता है। वरन् इसके लिए अपीलान्ट को सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से सिविल न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है जो कि विचाराधीन है। उक्त अपील के माध्यम से अपीलान्ट वयनामा दिनांक 17.08.2020 के संबंध में किसी तरह का कोई आदेश प्राप्त करने का हकदार नहीं है। जहां तक नगर विकास न्यास की खातेदारी समाप्त करने का प्रश्न है तो इसे भी अपीलान्ट को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है क्योंकि आराजी पूर्व खातेदार के नाम जावेगी और पूर्व खातेदार सोमती है, जिसने अपीलान्ट के अनुसार बेचान कर दिया है, परन्तु इससे खसरा नंबर 679 का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं है। अपील की मद संख्या 6 में अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होने के तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए समरी कार्यवाही के आधार पर प्रकरण का	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार वगैराह बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर व अन्य अपील संख्या 321/2020
18.09.23	निस्तारण नहीं हो सकता है। इस आधार पर भी अपील खारिज किए जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा विभिन्न न्यायालयों में खसरा नंबर 679 के संबंध में कार्यवाही कर रखी है, परन्तु किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्टे अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से आधारहीन तथ्यों पर उक्त अपील पेश की गई है, जो कि अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति के संबंध में की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र इसलिए मेन्टनेबल नहीं है, क्योंकि आराजी हाल खसरा नंबर 679 रकबा 19 एयर जो कि साविक खसरा नंबर 1892 मिन चक नंबर 3 कस्बा भरतपुर से संबंधित है, के बारे में अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री मिठ्ठन सिंह द्वारा 90 बी की कार्यवाही से अदालत हाजा के आदेश दिनांक 10.10.2007 के द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व मौके की स्थिति के आधार पर अपने पक्ष में अपास्त कराकर रिमाण्ड कराया हुआ है। इसलिए उक्त आराजी खसरा नंबर में अपीलान्ट का हित निहित है। खसरा नंबर 679 का सीमाज्ञान अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नंबर 677, 678 व 678/3272 से होकर किया है, जिसमें अपीलान्ट के रकबे को भी शामिल किया गया। उक्त आराजी खसरा नंबर को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा खातेदार सोमती के मुख्तयाआम राकेश लोधा से छल पूर्वक कय है, जिसके संबंध में ए.डी.जे संख्या 1 भरतपुर के यहां वयनामा को रद्द कराने हेतु दावा चल रहा है। इसके अलावा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर व राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त खसरा नंबर के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कार्यवाही की गई है। इसलिए विवादित भूमि में अपीलान्ट का हित निहित है। तहसीलदार भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2020 विधिक आदेश है। जिसकी अपील की सुनवाई का अदालत हाजा को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील तथ्य एवं कानूनी बिन्दु के आधार पर पेश की गई है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण के विवादित होने की स्थिति में सीमाज्ञान के आदेश दिया जाना उचित नहीं था। सीमाज्ञान के आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत ही अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा अपने हक में दिनांक 17.08.2020 को खातेदारी से अधिक भूमि का विक्रय पत्र कराया गया है। इस कारण उक्त विक्रय पत्र अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण इसे अदालत हाजा की ओर से शून्य घोषित किया जा सकता है। खसरा नंबर 679 की खातेदार सोमती द्वारा अपने सम्पूर्ण 2 बीघा रकबे का विक्रय पत्र दिनांक 02.01.1989, 14.03.1989, 29.12.1993, 06.04.1994 व 25.02.2000 के द्वारा किया जा चुका है। इसलिए रैस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया विक्रय अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए हुए है। खसरा नंबर 679 रकबा 19 एयर के संबंध में ए.डी.जे नंबर 1 भरतपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार द्वारा पारित किए गए सीमाज्ञान के आदेश के सन्दर्भ में बनाए गए मौका पर्चा के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। इसलिए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति

18.9.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार वगैराह बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर व अन्य अपील संख्या 321/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.09.23	संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 पर बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार भरतपुर एवं सचिव नगर सुधार न्यास भरतपुर की ओर से बनाए गए मौका पर्चा सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 30.10.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की गई। हमारे द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनिमय 1956 की धारा 75 में वर्णित प्रावधानों का अवलोकन किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 75 क में भू प्रबन्धक अथवा भूमि अभिलेख से असंबंधित मामलों में तहसीलदार द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलक्टर को, 75 ख के अनुसार सहायक कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलक्टर द्वारा भू प्रबन्ध से असंबंधित मामलों में दी गई मूल आज्ञा से राजस्व अपील प्राधिकारी को जो कि वर्तमान में संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में निहित है, को 75 ग के अनुसार भू प्रबन्ध अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध अधिकारी को, बिन्दु संख्या 75 घ के अनुसार भू अभिलेख अधिकारी के अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख अधिकारी को, 75 ड़ के अनुसार भू प्रबन्ध से संबंधित मामलों में भू प्रबन्ध अधिकारी या कलक्टर द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू प्रबन्ध आयुक्त को, 75 च के अनुसार भू अभिलेख से संबंधित मामलों में भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा से भू अभिलेख निरीक्षक को तथा बिन्दु संख्या 75 छ के अनुसार आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त अथवा भू प्रबन्ध आयुक्त द्वारा दी गई मूल आज्ञा से बोर्ड (राजस्व मण्डल) को प्रथम अपील किए जाने का प्रावधान है। अर्थात तहसीलदार की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उक्त प्रावधान के अनुसार जिला कलक्टर को किए जाने का प्रावधान है। अपीलान्ट की ओर से जिस आदेश दिनांक 30.10.2020 के विरूद्ध अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई है। यह आदेश न तो तहसीलदार की ओर से जारी किया हुआ आदेश है और न ही किसी अन्य राजस्व अधिकारी की ओर से जारी आदेश है। वरन् मौका पर्चा है जिसमें तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 29.10.2020 एवं नगर विकास न्यास भरतपुर के पत्र दिनांक 23.10.2020 की अनुपालना में चक नंबर 3 के आराजी खसरा नंबर 679/0.19 का सीमाज्ञान करवाए जाने से संबंधित है। जिसमें सीमाज्ञान करवाकर मौका पर्चा बनाया गया। वकील अपीलान्ट की ओर से अपनी बहस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीमाज्ञान के आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के कौन से प्रावधान के तहत अदालत हाजा में प्रथम अपील की जा सकती है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में वर्णित यह तथ्य कि विवादित भूमि के संबंध में अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 10.10.2007 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया हुआ है अथवा विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं विवादित भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है तो इस आधार पर अदाल हाजा	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार वगैराह बनाम नगर सुधार न्यास भरतपुर व अन्य अपील संख्या 321/2020
18.09.23	में आदेश दिनांक 30.10.2020 के विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है, के संबंध में किसी तरह के कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं किए। एक क्षण के लिए वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिए गए इस तर्क को कि अदालत हाजा में तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है तो प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ तहसीलदार भरतपुर की ओर से पारित आदेश क्रमांक 5951–5956 दिनांक 29.10.2020 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है व द्वितीय जिस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की गई है वह आदेश तहसीलदार का आदेश नहीं होकर सीमाज्ञान के संबंध में मौका पर्चा संबंधी रिपोर्ट है। इस तरह के आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की जा सकती है। इस तरह का कोई प्रावधान वकील अपीलान्ट की ओर से नहीं बताया गया। यदि सीमाज्ञान संबंधी मौकापर्चा रिपोर्ट दिनांक 30.10.2020 को तहसीलदार का आदेश भी माना जाता है तो भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 क के तहत तहसीलदार द्वारा पारित किए गए मूल आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर को अपील पेश किए जाने का प्रावधान होने के कारण उक्त अपील अदालत हाजा की क्षेत्राधिकारिता में नहीं आती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में रैस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 के आधार पर अपील अपीलान्ट अदालत हाजा की क्षेत्राधिकारिता में नहीं आने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जाती है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक खुले न्यायालय में सुनाया गया। (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर